



2026:AHC:24978

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 2685 / 2026

प्रिंस पाण्डेय

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता : ब्रजेश सिंह, देविर्षि कुमार राय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याची द्वारा वर्तमान रिट याचिका में मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील सोरांव, प्रयागराज को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के अंतर्गत नामांतरण वाद संख्या 6026 / 2024 (प्रिंस पाण्डेय बनाम शिवराम सिंह) को एक निर्धारित अवधि के भीतर निस्तारित करने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना की गई है।
4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का निस्तारण एक समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:-

"(7). तहसीलदार अविवादित नामांतरण के मामलों को वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर और विवादित नामांतरण के मामलों को 90 दिनों की अवधि के भीतर निस्तारित करने का प्रयास करेगा, और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर संपन्न नहीं होती है, तो उसके कारणों को अभिलिखित किया जाएगा।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. आगे यह तर्क दिया गया कि यद्यपि उक्त अवधि पहले ही बीत चुकी है, किंतु आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसीलिए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील सोरांव, प्रयागराज को यह निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है कि वे उपरोक्त वाद का निस्तारण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार करें, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

सकलेन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"